राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2020–21 / 12779 दिनांक : 8/7/2020

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, समस्त–जिले

अति0 जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा,
समस्त–जिले

विषयः– विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं (CWSN) के चिन्हिकरण, नामांकन तथा शाला दर्पण एवं UDISE+ 2019-20 में प्रविष्टि के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिलों द्वारा समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के चिन्हिकरण, नामांकन, शाला दर्पण एवं UDISE+ 2019-20 में प्रविष्टि का कार्य किया जा रहा है। उक्त संबंध में निम्नानुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करावें :–

- **विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं (CWSN) के चिन्हिकरण, नामांकन, शाला दर्पण एवं UDISE+ 2019-20 पर प्रविष्टि के दौरान चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की आवशयता नहीं है।**
- विशेष शिक्षक (द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी) एवं संदर्भ व्यक्ति (CWSN) विकलांगता के क्षेत्र में अध्ययन पूर्ण के उपरान्त भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली (RCI) से पंजीकृत है एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के चिन्हिकरण हेतु प्रशिक्षित है। अतः इनके द्वारा चयनित समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का नामांकन एवं शाला दर्पण एवं UDISE+ 2019-20 पर प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें।
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) के अधीन कार्यरत समस्त विशेष शिक्षकों (द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी) एवं संदर्भ व्यक्तियों (CWSN) द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं के चिन्हिकरण का कार्य किया जायेगा एवं जिन ब्लॉक में संदर्भ कक्षों पर एक भी संदर्भ व्यक्ति (CWSN) कार्यरत नहीं है, उन ब्लॉक के विशेष शिक्षकों (द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी) द्वारा ही उक्त कार्य किया जायेगा।
- समस्त चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का नामांकन, शाला दर्पण एवं UDISE+ 2019-20 में प्रविष्टि किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाये कि एक भी विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिका नामांकन एवं प्रविष्टि से वंचित ना रहे।
- संबंधित PEEO क्षेत्र के "समस्त विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का चिन्हिकरण, नामांकन कार्य पूर्ण कर समस्त नामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं की शाला दर्पण एवं UDISE+ 2019-20 पर प्रविष्टि का कार्य पूर्ण कर लिया गया है" इस आशय का प्रमाण–पत्र समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

www.rajteachers.com

(डॉ. रश्मि शर्मा)
अति. राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2020-21/ 12779 दिनांक : 8/7/2020

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सहायक, अति0 राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. समस्त सीबीईओ / पीईईओ, समग्र शिक्षा।
6. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त (समावेशी शिक्षा)

F/IED/Ramesh/Hindi letter 2020-21 (IED)